जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, जगदलपुर

झंकार टॉकीज के पीछे, केवरामुण्डा वार्ड, जगदलपुर, जिला बस्तर (छत्तीसगढ़)

Website: www.dccbjagdalpur.com फोन : 07782–228152

Email : dccbhoestjagdalpur@gmail.com फैक्स : 07782–228156

क्रमांक / स्थापना / वि.भ. / 4308 / 2016–2017 जगदलपुर, दिनांक 22 / 03 / 2017

कम्प्यूटर ऑपरेटर सह लिपिक के पद पर विभागीय भर्ती हेतु विज्ञप्ति (केवल समिति में कार्यरत कर्मचारियों के लिए)

जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, जगदलपुर के कार्यक्षेत्र बस्तर संभाग स्थित आदिम जाति सेवा सहकारी समितियों में कार्यरत सहायक समिति प्रबंधक / लिपिक / लिपिकीय सहायक / लेखापाल / विक्रेता जो वांछित अर्हताएं पूर्ण करते हैं, से निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र दिनांक 15 / 04 / 2017 को सांय 05:30 बजे तक आमंत्रित किये जाते हैं ।

(अ) भर्ती की पात्रता :–

(1) **आयु सीमा :–** दिनांक 01.01.2017 को 45 वर्ष से अधिक न हो ।

(2) **आरक्षण :– माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर के निर्णयानुसार इस बैंक में** अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिला, विकलांग एवं भूतपूर्व सैनिक हेतु आरक्षण लागू नहीं होता ।

(3) **रिक्त पद का विवरण :–**

वर्ग / पदनाम	–	वर्ग–4 / कम्प्यूटर ऑपरेटर सह लिपिक
संख्या	–	19

(4) **शैक्षणिक योग्यता :–**

1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से द्वितीय श्रेणी में स्नातक के साथ–साथ विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से कम्प्यूटर में डिप्लोमा अनिवार्य होगी ।
2. वाणिज्य स्नातक / सहकारिता डिप्लोमा / मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर उपाधिकर्त्ताओं को प्राथमिकता दी जावेगी ।

परन्तु ये अर्हताएं प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों में कार्यरत ऐसे कर्मचारियों पर भी लागु नहीं होगी जो दिनांक 27.05.1991 पर अथवा उसके पूर्व संस्थाओं में सहायक समिति प्रबंधक / विक्रेता के पद पर कार्यरत थे किन्तु ऐसे दिनांक 27.05.1991 के पूर्व कार्यरत कर्मचारी को हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा ।

(5) **वेतनमान :–** चयनित अभ्यर्थियों को प्रथम एक वर्ष परिवीक्षावधि में रखा जावेगा जिसमें मासिक एक मुश्त राशि ₹ 20000 / –(बीस हजार रूपये) भुगतान किया जावेगा, 1 वर्ष पश्चात कार्य संतोषजनक पाये जाने पर परिवीक्षा अवधि समाप्त की जा सकेगी अन्यथा परिवीक्षा अवधि 1 वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है । परिवीक्षावधि समाप्त होने के पश्चात नियमित वेतनमान वर्ग–4 11250-340-(2)-11930-360-(3)-13010-400-(5)-15010-470-(6)-17830-550-(5)-20580 पर नियमित किया जावेगा ।

(6) **प्रशिक्षण :–** चयनित अभ्यर्थियों को बैंक के निर्देशानुसार किसी भी प्रशिक्षण केन्द्र में प्रशिक्षण हेतु जाना अनिवार्य होगा ।

क्रमशः...2

(ब) चयन प्रक्रिया एवं शर्तें :–

01 अभ्यर्थी बैंक कर्मचारी सेवा नियम के प्रावधान अनुसार कम से कम 05 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण कर चुका हो ।

02 अभ्यर्थी की आयु बैंक कर्मचारी सेवा नियम के प्रावधानानुसार 45 वर्ष से अधिक न हो।

03 अभ्यर्थी के विरूद्ध गबन, धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार या गंभीर अनियमितता के प्रकरण लंबित न हो ।

04 ऐसे कर्मचारी जिन्हें धान उपार्जन के दौरान छ.ग. राज्य विपणन संघ मर्यादित (मार्कफेड) द्वारा वेतन भुगतान किया जाता है, उन्हें भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित होने की पात्रता नहीं होगी ।

05 चयन की प्रक्रिया बैंक कर्मचारी सेवा नियम के अनुसार लिखित परीक्षा आयोजित कर मेरिट (प्राविण्यता) के आधार पर की जावेगी ।

06 चयनित उम्मीदवारों को बैंक के कार्यक्षेत्र बस्तर संभाग के अंतर्गत बस्तर, दंतेवाड़ा, कांकेर, नारायणपुर, बीजापुर, कोण्डागाँव, एवं सुकमा जिलों के शाखाओं में पदस्थ किया जायेगा ।

07 प्रत्येक प्रत्याशी को अपना आवेदन समिति प्रबंधक एवं शाखा प्रबंधक के माध्यम से ही अंतिम तिथि के पूर्व निर्धारित प्रारूप में प्रेषित करना होगा । सीधे प्राप्त आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जावेंगे ।

08 आवेदन पत्र का प्रारूप बैंक की समस्त शाखाओं के सूचना पटल पर देखा जा सकता है तथा बैंक की वेबसाईट **www.dccbjagdalpur.com** पर भी उपलब्ध है ।

09 आवेदक को स्वयं का पत्र व्यवहार का पता लिखा हुआ एक रजिस्टर्ड लिफाफा एवं एक 5 रूपये का डाक टिकट युक्त लिफाफा आवेदन पत्र के साथ अनिवार्यतः जमा करना होगा ।

10 कोई भी व्यक्ति जो बैंक संचालक मंडल के सदस्य का निकट संबंधी हो नियुक्ति का पात्र नहीं होगा ।

11 विज्ञापित पदों पर नियुक्ति प्रथमतः एक वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर की जायेगी। कार्य संतोषजनक पाये जाने पर परिवीक्षा अवधि समाप्त की जा सकेगी, अन्यथा परिवीक्षा अवधि बढ़ाई जा सकती है अथवा सेवा भी समाप्त की जा सकती है ।

12 यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी कि वे आवेदित पद के लिए निर्धारित समस्त अर्हताओं तथा शर्तों को पूरा करते हैं अतः आवेदन करने के पहले आवेदक अपनी अर्हता की जांच स्वयं कर लें और अर्हता की समस्त शर्तों को पूरा करने पर ही आवेदन प्रस्तुत करें ।

13 केवल पात्रता धारण करने अथवा परीक्षा में सम्मिलित किये जाने का यह अर्थ कदापि नहीं होगा कि आवेदक को पात्र/अर्ह मान लिया गया है चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक के अपात्र/अनर्ह पाये जाने पर आवेदन निरस्त कर उसकी उम्मीदवारी समाप्त की जावेगी ।

14 आवेदक/उम्मीदवार को आने जाने का व्यय बैंक द्वारा देय नहीं होगा । वे स्वयं के खर्च तथा जोखिम पर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होंगे, किसी भी प्रकार की चोट या नुकसान अथवा दुर्घटना के लिए बैंक की जवाबदारी नहीं होगी ।

15 आवेदन में दी गई जानकारी की समस्त प्रमाण–पत्रों की मूल प्रतियां नियुक्ति के समय प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा ।

क्रमशः...3

16 समिति में कार्यरत् कर्मचारियों को नियोक्ता के अनापत्ति प्रमाण–पत्र नियुक्ति के समय प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।

17 भर्ती प्रक्रिया संशोधित करने/विलोपित करने एवं उत्पन्न किसी भी विवाद एवं समस्या पर अंतिम निर्णय लिये जाने का सर्वाधिकार नियोक्ताकर्त्ता के पास सुरक्षित रहेंगे ।

(स) अन्य महत्पूर्ण बिन्दु :–

01 प्रशासनिक अव्यवस्था होने/कानून व्यवस्था संबंधी स्थिति निर्मित होने/हड़ताल/तालाबंदी आदि की स्थिति से इंकार नहीं किया जा सकता । ऐसी स्थिति में परीक्षा विलम्ब से प्रारम्भ हो सकती है अथवा केन्द्र/समय में परिवर्तन किया जा सकता है अथवा परीक्षा रद्द भी की जा सकती है । जिसके लिए सर्वाधिकार बैंक के पास सुरक्षित होगा ।

02 भर्ती से संबंधित सभी मामलों में बैंक का निर्णय बंधनकारी एवं अंतिम होगा । कोई भी पत्राचार अथवा व्यक्तिगत पूछताछ के लिए बैंक प्रबंधन द्वारा विचार नहीं किया जायेगा ।

03 ऐसे उम्मीदवार जिनका अन्य उम्मीदवारों के साथ प्रश्नों के उत्तर विश्लेषण करने, साझा करनें का अनुमान लगाया जाता है इस पर प्रतिक्रिया साझा कर निष्कर्ष निकाला जाता है तथा अपनी दावेदारी प्रस्तुत की जाती है, बैंक द्वारा ऐसे उम्मीदवारों को अपात्र किया जा सकता है ।

04 किसी उम्मीदवार द्वारा गलत जानकारी या प्रक्रिया का उल्लंघन किये जाने पर भर्ती प्रक्रिया के दौरान बैंक प्रबंधन को ज्ञात नहीं हो पाता है, किन्तु बाद में यह संज्ञान में आता है कि उम्मीदवार का चयन त्रुटिवश हुआ है, तो बैंक प्रबंधन को यह अधिकार होगा कि चयनित उम्मीदवार का चयन रद्द कर अगले उम्मीदवार का चयन करें ।

05 भर्ती से संबंधित विवाद की स्थिति में न्यायालयीन क्षेत्राधिकार जगदलपुर होगा ।

(द) अनुचित साधनों के उपयोग एवं दुर्व्यवहार, कदाचार में दोषी पाए जाने पर कार्यवाही

आवेदक/उम्मीदवारों से अपेक्षा की जाती है कि आवेदन में वांछित योग्यता एवं विवरणी कपटपूर्वक प्रस्तुत न करें यदि परीक्षा या चयन प्रक्रिया के समय निम्नाकिंत कारणों से दोषी पाया जाता है तो स्थायी रूप से बैंक की परीक्षा से वंचित किया जायेगा अथवा उम्मीदवारी समाप्त कर दी जावेगी :–

01 अनुचित साधनों का उपयोग करना ।

02 स्वयं के स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा परीक्षा देना ।

03 परीक्षा के दौरान दुर्व्यवहार, परीक्षा संबंधी जानकारी अन्य को बताने, प्रकाशन, फोटो खींचना, अन्य दूसरे स्थान पर प्रसारित करना, परीक्षा सामाग्री अन्यत्र सुरक्षित करना, किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रानिक सामाग्री का उपयोग करना आदि शामिल है ।

04 उम्मीदवारी के संबंध में समर्थन प्राप्त करना अथवा सिफारिश करवाना, राजनैतिक दबाव डलवाना ।

05 परीक्षा में मोबाईल फोन, इलेक्ट्रानिक उपकरण, नकल, पुस्तक आदि का उपयोग किया जाना प्रतिबंधित होगा तथा ऐसा किये जाने पर उम्मीदवारी निरस्त कर दी जावेगी ।

शुभकामानाओं सहित.....

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, जगदलपुर